

“खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र”  
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

~~पंडित~~

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम आमू का लडा की जमाबन्दी

संवत् 2071-74 खाता संख्या 181 में -

रा० कि० प्रा० कि० कृष्णचंद्र झा (पुत्र)  
सही नाब का का० कि० कृष्णचंद्र झा (पुत्र)

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

(राज्वराम विश्नोई)

दिनांक

25/18  
11.5.18

Sir,  
रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

उद्देश्यार्थ राजुराम विशनोई के आधार पर रा० शि० प्र० वि० कण्डाणियों का तला विद्यालय क्रमोन्नत होने पर रा० भा० वि० कण्डाणियों का तला सुदूर किसे जाने की अनुशंसा की जाती है,

11.5.18  
पु. वि. प्र. म. 11.5.18

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

पटवारी क. भू. म. निरीक्षण की जाँच रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय क्रमोन्नत होने से "रा० शि० प्र० वि० कण्डाणियों का तला" के स्थान पर "रा० भा० वि० कण्डाणियों का तला" का नाम दुरुस्त करने की अनुशंसा की जाती है।

(मुनील कुमार कटेवा)  
तहसीलदार, (श.क.) म. 59

आदेश

तहसीलदार खेड़वा, ILR खेड़वा, पटवारी हल्का चिक्कर ले जाकर जाँच रिपोर्ट एवं प्राप्ति पत्र के साथ पेशदस्तावेजों के आधार पर जाँचना पत्र स्वीकार कर विद्यालय क्रमोन्नत होने के कारण रा० शि० प्र० वि० कण्डाणियों का तला के स्थान पर रा० भा० वि० कण्डाणियों का तला दुरुस्त करने का फैसला दिया जाता है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार खेड़वा के अन्तर्गत रिकॉर्ड में अमल इरामत काल का फैसला दिया जाता है। पत्रांक के साथ सुभार होकर दायरे में दफ्तार हो।

उप खण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

